F.No-CSU/36010/599/Scheme Revise/2022-23/S-II/ 600

**CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY**
**Established by an Act of Parliament**
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, under Ministry of Education, Government of India)
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058
Ph. No. 011-28524993, 28524995, 28520979, 28520966
Website : www.sanskrit.nic.in

**Dated : 01.12.2022**

# Notification

**Subject:-** **Notification of review and revision of guidelines of Central Schemes for Promotion of Sanskrit and invitation of online applications for providing financial assistance for the financial year 2022-2023.**

The guidelines of various Central Schemes of the Ministry of Education, Government of India, implemented by the Central Sanskrit University, Delhi for the Development of Sanskrit Education are being revised and reviewed from time to time. In this process the guidelines of Schemes for Development of Sanskrit Education in force till the financial year 2020-2021 have been reviewed as per norms. The reviewed/revised guidelines of the Schemes for Development of Sanskrit Education have been approved by the Ministry of Education, Government of India and renamed as "Schemes for Sanskrit Promotion (संस्कृतसंवर्धनयोजना:)". These revised guidelines are published and available on the website of the Central Sanskrit University at www.sanskrit.nic.in/schemes. The revised and approved guidelines have come into force from 01-10-2022. Therefore, the revised and approved new guidelines, the increased grant amount and other rules etc., are applicable from 01-10-2022.

Accordingly, application forms are being invited from 07-11-2022 through online mode for providing financial assistance under various Central Schemes for the year 2022-2023 from NGOs/Voluntary Organizations/ Institutions/Universities/Publishers/Individual/Students, as per approved guidelines. The start date of online registration is 07-11-2022 and the last date is 10-12-2022. Last date for the Meritorious Scholarships is 31–01-2023.

In this regard, an advertisement has been published in various daily news papers/Sanskrit magazines across the country and website of the University on 06-11-2022. A copy of the advertisement is enclosed with this notification. As per the revised guidelines, it is mandatory to submit applications through online mode for financial assistance under the schemes. Applications sent before the publication of the advertisement dated 06-11-2022 and applications submitted through any other mode except online will not be considered under any circumstances. No institution is automatically renewed by the University for the financial assistance under any of the scheme. Therefore it is mandatory for the institution to apply every year for renewal as per the rules. As per the prevailing rules of Central Schemes, it is mandatory to submit a separate application for financial assistance only after the publication of the advertisement in every year. Financial assistance for the year concerned is not sanctioned in case of non-submission of application in any particular year as per rules. Financial assistance will be given subject to availability of the funds in each financial year. The financial grant of previous years will not be sanctioned in the next/coming financial years.

In case of any candidate/Institution has deprived of getting financial assistance for the year 2022-23 due to non-submission of application in accordance with the rules by any institution then responsibility will be lie with the concerned Institutions/College/University/Individual/Student only but not the Central Sanskrit University, Delhi. In case of any inconvenience in filling the online application form, please contact us through the above given telephone number or e-mail, help.schemes@csu.co.in.

It is further to be noted that the guidelines of Central Schemes are being revised by the competent authority from time to time as and when required. So, the website of Central Sanskrit University, www.sanskrit.nic.in/schemes may be visited regularly for updated information on the revised guidelines of Central Schemes or enhancement of date of online registration for financial assistance for the year 2022-23 or if any.

**Director, (Central Schemes)**

Copy to:- All Institutions/Schools/Colleges/Universities/Individuals/Students receiving financial assistance previously from the Central Sanskrit University (Rashtriya Sanskrit Sansthan), Delhi.

F.No-CSU/36010/599/Scheme Revise/2022-23/S-II/591

**केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय**

**संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित**

(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दूरभाष सं.-011-28524993, 28524995, 28520979, 28520966

वेबसाईट- www.sanskrit.nic.in

दिनांक **01.12.2022**

# अधिसूचना

**विषयः-** **संस्कृत संवर्धन योजनाओं के दिशा-निर्देशों को समीक्षा एवं परिवर्तन हेतु अधिसूचना तथा वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में।**

संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा क्रियान्वित भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के दिशा-निर्देश समय समय पर परिष्कृत एवं परिवर्तित किये जाते रहे हैं। इस श्रृंखला में वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रचलित संस्कृत शिक्षा की विकास योजनाओं का दिशा-निर्देशों का समीक्षण नियमानुसार किया गया है। समीक्षा के पश्चात् शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित एवं संशोधित संस्कृत शिक्षा की विकास योजनाओं का दिशा-निर्देशों का नाम परिवर्तित कर ''संस्कृत संवर्धन योजना'' के रूप में प्रकाशित किया गया है। यह दिशा-निर्देश केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेबसाईट **www.sanskrit.nic.in/schemes** पर उपलब्ध है। नवीकृत यह दिशा-निर्देश दिनांक 01.10.2022 से प्रचलन में आ चुके है। अतः **अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्धित अनुदान राशि एवं अन्य नियम इत्यादि दिनांक** 01.10.2022 **से ही लागू होंगे।**

अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न **केन्द्रीय संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2022-23 के लिए एन.जी.ओ./स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं/विश्वविद्यालय/प्रकाशक/वैयक्तिक/छात्र द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक** 07.11.2022 **से आमंत्रित किए जा रहे है। ऑनलाईन पंजीकरण की आरम्भ तिथि** 07.11.2022 **एवं अन्तिम तिथि** 10.12.2022 **है। मेधावी छात्रवृत्ति हेतु अन्तिम तिथि** 31.01.2023 **है।**

इस संबंध में सम्पूर्ण भारत भर के विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों, संस्कृत पत्रिकाओं एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से दिनांक 06.11.2022 में विज्ञापन निर्गत किया गया है। विज्ञापन की प्रति इस अधिसूचना के साथ संलग्न है। नवीकृत दिशा निर्देशों के अनुरूप योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दिनांक 06.11.2022 के विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व भेजे गये आवेदन पत्रों पर एवं ऑनलाईन के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्रस्तुत आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु किसी भी संस्था का नवीनीकरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः नहीं किया जाता है अतः संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमानुसार आवेदन करना अनिवार्य है। केन्द्रीय योजनाओं के प्रचलित नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष में विज्ञापन के पश्चात् ही पृथक रूप से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी वर्ष में आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत न करने के संदर्भ में संबंधित वर्ष हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति नहीं दी जाती है। प्रत्येक वर्ष में धन की उपलब्धता के आधार पर ही वित्तीय सहायता निर्गत की जाती है। विगत वर्षों हेतु वित्तीय अनुदान राशि की स्वीकृति आगामी वित्तीय वर्षों में नहीं दी जायेगी।

वित्तीय अनुदान 2022-23 के लिए किसी भी संस्था के द्वारा आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत न करने की स्थिति में तथा संस्था के द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया सम्पादित कर आवेदन प्रस्तुत न करने के संदर्भ में कोई भी उम्मीदवार वित्तीय सहायता से वंचित होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/वैयक्तिक/छात्र की होगी न कि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र पूरित करने में किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में उपरिलिखित दूरभाष अथवा ई-मेल **help.schemes@csu.co.in** के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

इसके अतिरिक्त सूचनीय है कि केन्द्रीय योजनाओं के दिशा-निर्देश समय-समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी के सूचना के अनुसार परिष्कृत एवं परिवर्तित हो रहे है। इस संदर्भ में केन्द्रीय योजनाओं का परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अवलोकन हेतु तथा वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय सहायता हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के अंतिम तिथि की बढोत्तरी इत्यादि विवरण हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेबसाईट **www.sanskrit.nic.in/schemes** समय समय पर देखा जा सकता है।

**निदेशक ( केन्द्रीय योजनाएँ )**

**प्रतिलिपिः- पूर्व में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ( राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान ) से केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त/अनुदाग्राही सभी संस्थाएँ/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/वैयक्तिक/छात्र।**